कार्यालय अधिशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग
परियोजना खण्ड जवाजा

E- mail: eep.law.ajm.phed@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– 441–43
दिनांकः– 13/10/2020

उप वन संरक्षक
कार्यालय, अजमेर।

विषयः– जवाजा परियोजना हेतु वन भूमि के स्टेज–1 की स्वीकृति के लिए वन भूमि के बदले गैर वन भूमि आवंटन कराने बाबत।

संदर्भः– 01. आपका कार्यालय पत्रांक 7020 दिनांक 30.07.2020
02. जिला कलक्टर अजमेर के पत्रांक 67 दिनांक 13.08.2020 व पत्रांक 68 दिनांक 13.08.2020
03. जिला कलक्टर अजमेर क पत्रांक 5362 दिनांक 23.07.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र –1 के क्रम में निवेदन है कि जिला कलक्टर महोदय, द्वारा प्रस्तावित वन भूमि (**रक्षित सड़क वन पटटी, रक्षित वन भूमि व आरक्षित वन भूमि**) 7.0484 हैक्टयर के बदले बराबर गैर वन भूमि ग्राम लीड़ी तहसील पीसांगन के खसरा नं. 4253 व 4298 में आरक्षित की गई है। भूमि की पैमाईश मोके पर जाकर संबंधित पटवारी द्वारा करवाकर तैयार करवाये गये नक्शे की प्रतियां स्टेज–1 की स्वीकृति हेतु इस पत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है। साथ ही उपरोक्त संदर्भित पत्र–3 द्वारा 6.4731 हैक्टयर का FRA प्रमाण पत्र जिला कलक्टर महोदय अजमेर द्वारा जारी किया जा चुका है तथा राजसंमद क्षैत्र के 0.5753 हैक्टयर के FRA की कार्यवाही प्रकियाधीन है। गैर वन भूमि का आरक्षित पत्र, नक्शा (KML FILE) एवं अजमेर का FRA प्रमाण पत्र ऑन लाईन आवेदन के भाग–1 में कर दिया गया है अतः आप इस प्रकरण का निस्तारण कर उच्च कार्यालय को प्रेषित कर स्वीकृति की कार्यवाही करावें।

संलग्नः–
01. FRA प्रमाण पत्र
02. गैर वन भूमि का आरक्षित पत्र, नक्शा एवं C.D

अधिशाषी अभियंता
जन स्वा.अभि. विभाग
परियोजना खण्ड जवाजा

क्रमांक / 441–43
दिनांकः– 13/10/2020

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
01. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (परियोजना), जन स्वा० अभि० विभाग, अजमेर।
02. अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वा० अभि० विभाग, परियोजना वृत अजमेर।

अधिशाषी अभियंता

o/c